



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042025-262636  
CG-DL-E-23042025-262636

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1805]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 23, 2025/वैशाख 3, 1947

No. 1805]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 23, 2025/VAISHAKA 3, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2025

(आय-कर)

का.आ. 1838(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 37 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित विधियों के अधीन उल्लंघन या चूक के संबंध में प्रारंभ की गई कार्यवाहियों को निपटाने के लिए किया गया कोई व्यय, कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए किया गया व्यय नहीं समझा जाएगा और ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती या मोक नहीं दिया जाएगा, अर्थात्:—

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15);

(ख) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42);

(ग) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22);

(घ) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12)।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 38/2025/फा. सं. 370142/11/2025-टीपीएल]

आशीष कुमार अग्रवाल, उप सचिव